भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 401

05 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषयः- कृषि प्रौद्योगिकी

401. श्रीमती हेमामालिनी:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ी तेजी से हो रही वृद्धि का समुचित लाभ देश के किसानों तक समुचित रूप से पहुंचाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच समिति भी गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): जी हां, सरकार खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाने और छोटे खेतों की दक्षता तथा लाभप्रदता बढ़ाने में कृषि-तकनीक उद्योग की अपार क्षमता को स्वीकार करती है। इसके अलावा, कृषि में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने, चुनौतियों से निपटने और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में कृषि-तकनीक की भूमिका को पहचानने के लिए विभिन्न पहल व नीतियों की शुरूआत की गई हैं। सरकार ने मानकीकृत रजिस्ट्रियों, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, कृषि डेटा एक्सचेंज, कन्सेंट मैनेजर, सैंड बॉक्स और समेकित किसान सेवा इंटरफ़ेस (यूएफएसआई) के साथ कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) शुरू करने की पहल की है। इस पहल का उद्देश्य प्रयासों की अंतरसंचालनीयता और संयोजन को बढ़ाना, उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके कृषि क्षेत्र में अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देना, है। इसके अलावा, इन प्रयासों को पूरा करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अवसर सृजित करने के लिए स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है, जिससे गैर-सरकारी संस्थाओं से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जा सके और सरकार के साथ सहयोगात्मक कार्य के लिए उपयुक्त संस्थाओं की सिफारिश की जा सके। स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के आदेश की प्रति अनुबंध में दी गई है।

Z-11023/9/2022-डिजिटल कृषि

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

(आईटी डिविजन)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 28.06.2023

आदेश

विषयः देश में किसानों के कल्याण के लिए कृषि नवाचारों का लाभ उठाने के लिए स्क्रीनिंग समिति- तत्संबंधी

किसानों के कल्याण के लिए कृषि नवाचारों का लाभ उठाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया है।

2. समिति की संरचना इस प्रकार हैः

क्र.सं.	**पदनाम**	**पद (अध्यक्ष/सदस्य)**
i.	अपर सचिव (डिजिटल कृषि), डीएएंडएफडब्लू	अध्यक्ष
ii.	एएस और एफए या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
iii.	संयुक्त सचिव (क्रेडिट), डीएएंडएफडब्लू	सदस्य
iv.	संयुक्त सचिव (विस्तार), डीएएंडएफडब्लू	सदस्य
v.	सलाहकार, (एमएनसीएफसी)	सदस्य
vi.	डिजिटल कृषि के प्रभारी डीडीजी आईसीटी (आईसीएआर)	सदस्य
vii.	निदेशक, एमएनसीएफसी	सदस्य
viii.	प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय से प्रतिनिधि	सदस्य
ix.	अटल इनोवेशन मिशन के प्रतिनिधि, नीति आयोग	सदस्य
x.	इन्वेस्ट इंडिया के प्रतिनिधि	सदस्य
xi.	आईआईटी/आईआईएम/आईआईआईटी/विश्वविद्यालयों से 3 सक्षम विशेषज्ञ	सदस्य
xii.	दो औद्योगिक विशेषज्ञ (समिति द्वारा नामित)	सदस्य
xiii.	कुछ विशेष आमंत्रित व्यक्ति (सचिव डीएएंडएफडब्लू के अनुमोदन से)	सदस्य
xiv.	निदेशक (डिजिटल कृषि), डीएएंडएफडब्लू	सदस्य/सचिव

स्क्रीनिंग समिति कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करेगी। परामर्श प्रक्रिया के दौरान, समिति भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए प्रासंगिक लक्षित हस्तक्षेपों में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए ऐसी संस्थाओं से प्रस्तुतियाँ मांगेगी, जिन्हें बढ़ाने की क्षमता है, समिति संभावित व्यवहार्यता को समझने के लिए विचार की अवधारणा, मूल्य प्रस्ताव, कार्य योजना की जांच करेगी और इसकी मापनीयता. किसानों के कल्याण के लिए कृषि नवाचारों का लाभ उठाने की रूपरेखा पर एक विस्तृत नोट तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न है।

4. समिति सीखने/ज्ञान और क्षमता को बढ़ाने के इरादे से क्षेत्र में सहयोगी परियोजनाओं के लिए मंत्रालय के साथ सहयोगात्मक कार्य के लिए उपयुक्त संस्थाओं की सिफारिश करेगी।

5. भारत सरकार में लागू गैर-आधिकारिक सदस्यों/गैर-आधिकारिक विशेष आमंत्रितियों के लिए यात्रा व्यय जिसमें हवाई किराया, स्थानीय यात्रा, बैठने का शुल्क आदि शामिल है, कृषि और किसान कल्याण, भारत सरकार मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

6. समिति का कार्यकाल इसके गठन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा।

7 यह आईएफडी की सहमति (ई-फाइल संख्या 119426 दिनांक 21.06.2023 के माध्यम से) और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(मनोज कुमार गुप्ता)
सलाहकार
फ़ोन: 011-23384309
ईमेल आईडी: manojk.gupta@nic.in

सेवा में,

1. प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, तकनीकी समिति को अपना प्रतिनिधि नामित करने के अनुरोध के साथ।
2. सीईओ, नीति आयोग को अटल इनोवेशन मिशन से एक प्रतिनिधि नामित करने के अनुरोध के साथ
3. सचिव (डीपीआईआईटी) और अध्यक्ष, इन्वेस्ट इंडिया को नामित करने के अनुरोध के साथ। इन्वेस्ट इंडिया के प्रतिनिधि
4. एएस एंड एफए, डीए एंड एफडब्ल्यू- अपने प्रतिनिधि को नामित करने के अनुरोध के साथ।

5. संयुक्त सचिव (क्रेडिट), डीए एंड एफडब्ल्यू।

6. संयुक्त सचिव (विस्तार), डीए एंड एफडब्ल्यू।
7. सलाहकार (डिजिटल कृषि), डीए एंड एफडब्ल्यू।
8. डीडीजी (आईसीटी) डेयर/आईसीएआर।
9. निदेशक, एमएनसीएफसी।
10. निदेशक (डिजिटल कृषि), डीए एंड एफडब्ल्यू

प्रतिलिपि प्रेषित

1. माननीय कृषि मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीय राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
3. सचिव, डीएएंडएफडब्ल्यू के वरिष्ठ पीपीएस
4. सचिव (डीएआरई) और महानिदेशक (आईसीएआर) के वरिष्ठ पीपीएस
5. एएस एंड एफए, डीए एंड एफडब्ल्यू के वरिष्ठ पीपीएस
6. वरिष्ठ पीपीएस से एएस (डिजिटल कृषि), डीए एंड एफडब्ल्यू।
7. सलाहकार (एमएनसीएफसी), डीए एंड एफडब्ल्यू के निजी सचिव।

सभी प्रभागीय प्रमुखों, डीएएंडएफडब्ल्यू को सूचनार्थ प्रतिलिपि

z-11023/9/2022-डिजिटल कृषि
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 4 अगस्त, 2023

आदेश

विषयः देश में किसानों के कल्याण के लिए कृषि नवाचारों का लाभ उठाने हेतु संवीक्षा समिति

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 28.06.2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के आदेश के अधिक्रमण में और संवीक्षा समिति जिसे निम्नानुसार पुनः गठित किया गया, के संशोधित गठन के बारे में संसूचित करना।

क्र.सं.	**पदनाम**	**स्थिति (अध्यक्ष/सदस्य)**
1.	अपर सचिव (डिजिटल कृषि), डीएएंडएफडब्ल्यू	अध्यक्ष
2.	एएसएंडएफए अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (ऋण), डीएएंडएफडब्ल्यू	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (विस्तार), डीएएंडएफडब्ल्यू	सदस्य
5.	सलाहकार, (डिजिटल), डीएएंडएफडब्ल्यू	सदस्य
6.	सलाहकार, (एमएनसीएफसी), डीएएंडएफडब्ल्यू	सदस्य
7.	डीडीजी, आईसीटी (आईसीएआर) डिजिटल कृषि प्रभारी	सदस्य
8.	निदेशक, एमएनसीएफसी	सदस्य
9.	प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के प्रतिधि	सदस्य
10.	अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के प्रतिनिधि	सदस्य
11.	इन्वेस्ट इंडिया के प्रतिनिधि	सदस्य
12.	आईआईटी/आईआईएम/आईआईआईटी/ विश्वविद्यालयों के 3 सक्षम विशेषज्ञ	सदस्य

13.	दो उद्योग विशेषज्ञ (समिति द्वारा नामित किए जाएंगे)	सदस्य
14.	कोई विशेष आमंत्रित व्यक्ति (सचिव डीएएंडएफडब्ल्यू के अनुमोदन से)	सदस्य
15.	निदेशक (डिजिटल कृषि) डीएएंडएफडब्ल्यू	सदस्य सचिव

2. 28.06.2023 के पूर्ववर्ती आदेशों की निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी।

संलग्नकः यथोक्त

(चंदन कुमार)
अवर सचिव (भारत सरकार)
दूरभाषः 011-23382926
ई-मेलः us-it@gov.in

सेवा में

1. प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, तकनीकी समिति
2. सीईओ, नीति आयोग
3. सचिव, (डीपीआईआईटी) एवं अध्यक्ष इन्वेस्ट इंडिया
4. एएसएंडएफए, डीएएंडएफडब्ल्यू
5. संयुक्त सचिव (ऋण), डीएएंडएफडब्ल्यू
6. संयुक्त सचिव (विस्तार), डीएएंडएफडब्ल्यू
7. सलाहकार, (डिजिटल), डीएएंडएफडब्ल्यू
8. सलाहकार, (एमएनसीएफसी), डीएएंडएफडब्ल्यू
9. डीडीजी, (आईसीटी) डेयर/आईसीएआर
10. निदेशक, एमएनसीएफसी
11. निदेशक (डिजिटल कृषि) डीएएंडएफडब्ल्यू

प्रतिलिपिः

1. माननीय कृषि मंत्री के निजि सचिव
2. माननीय राज्य मंत्रियों के निजि सचिव
3. सचिव डीएएंडएफडब्ल्यू के वरिष्ठ प्रधान निजि सचिव
4. सचिव डेयर एंड डीजी (आईसीएआर) के वरिष्ठ प्रधान निजि सचिव
5. एएसएंडएफए, डीएएंडएफडब्ल्यू के वरिष्ठ प्रधान निजि सचिव
6. अपर सचिव (डिजिटल कृषि), डीएएंडएफडब्ल्यू के वरिष्ठ प्रधान निजि सचिव

*****